BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA …APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. …RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL PROGRESS REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION, UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.03.2026 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 29.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	COPIES OF LETTERS DATED 11.03.2026, 13.03.2026 AND 19.03.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF THE MOM DATED 09.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	COPIES OF LETTERS DATED 24.04.2026, 21.05.2026 AND 29.05.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE LETTER DATED 08.07.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 10.07.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA …APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. …RESPONDENT(s)

ADDITIONAL PROGRESS REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION, UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.03.2026 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **Sanjio Kumar**, aged about **56 Years**, S/o **Shri Lala Yogesh Chandra Verma** posted as Chief Conservator of Forests, Wildlife, Western Region, Uttar Pradesh, Kanpur, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the present Original Application pertains to the proposed expansion of the Soor Sarovar Birds Sanctuary, Agra, involving three pieces of land measuring 403.09 hectares, 380.558 hectares, and 14.5025 hectares. The final notifications under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, have been issued in respect of the first two areas, while the notification for the third area (14.5025 hectares) is currently under process.
4. That, the deponent, vide Affidavit dated 21.05.2025, submitted the timeline for ***completion of the proceedings and issuance of the final notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972***, and the Hon'ble Tribunal was pleased to record the same in paragraph 2 of the order dated 22.05.2025, **which are as follows:**

S. NO.	**DATE RANGE**	**DETAILS OF PROCEEDINGS**
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for

		the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	**18.01.2026 to 31.01.2026**	**Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow.**
6.	**01.02.2026 to 01.05.2026**	**Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.**

REPLY IS AS FOLLOWS

I. <u>PROGRESS STATUS AS PREVIOUSLY SUBMITTED VIDE AFFIDAVIT DATED 17.03.2026</u>

5. That, in faithful compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, the Deponent, vide Further Progress Report dated **17.03.2026** (*hereinafter referred to as the "**Affidavit dated 17.03.2026**"*), has disclosed that the

Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, vide letter dated **20.01.2026**, has forwarded the proposal for issuance of the final notification under Section 26A(1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh. It has further been disclosed that the matter is under consideration at the Government level and that further compliance towards issuance of the final notification is in progress. (*Kindly refer to paragraphs 9 and 10 at Judicial Page Nos. 653–654*).

II. CLARIFICATION SOUGHT BY THE CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE (CEC) IN THE NOTIFICATIONS ISSUED BY THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN RESPECT OF 14.5025 HECTARES (U/S 18) AND 380.558 HECTARES (U/S 26A) OF THE WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972

6. That, the CEC, vide Letter No. **1-26/CEC/SC/2026-Pt.75** dated **29.01.2026**, sought amendment of the Notifications dated **27.12.2024** issued by the Government of Uttar Pradesh, whereby the parcel of **380.558 hectares** of Reserved Forest was included in the Soor Sarovar Bird Sanctuary under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and the parcel of **14.5025 hectares** was notified under Section 18 of the said Act. The CEC observed that the aforesaid notifications have declared the Eco-Sensitive Zone (ESZ) as **Zero Kilometres**, whereas the power to notify ESZ vests with the Central

Government. Accordingly, the CEC requested the Government of Uttar Pradesh to carry out the necessary changes in the said notifications.

A copy of the letter dated 29.01.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

III. <u>ACTION TAKEN PURSUANT TO THE CEC LETTER DATED 29.01.2026</u>

7. That, in order to consider the amendments sought by the CEC and to ensure compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, the Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, vide Letter No. **2624/23-1 (ESZ)** dated **11.03.2026**, submitted an Inquiry Report regarding the proposed amendments. The said report was forwarded by the Deponent, vide Letter No. **2172/10-1** dated **13.03.2026**, to the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, who, in furtherance of the same, vide Letter No. **3345/10-1(Court Case)** dated **19.03.2026**, forwarded the same to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, with a request to place the proposed amendments sought by the CEC before the State Board for Wildlife, Uttar Pradesh, for consideration and taking the requisite action in the matter.

Copies of letters dated 11.03.2026, 13.03.2026 and 19.03.2026 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-2***.

8. That, a meeting under the Chairmanship of the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, was held on **01.04.2026**, wherein it was decided that the amendments sought by the CEC would be incorporated in the relevant notifications and the revised proposal would thereafter be forwarded to the Government. It was further decided that the proposal for issuance of the final notification in respect of 14.05025 hectares of land under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, be prepared accordingly so that the matter could be placed before the State Board for Wildlife, Uttar Pradesh, for its consideration. The Minutes of the Meeting were thereafter circulated to the concerned officials vide Letter No. **682/1-4-2026-1807890** dated **09.04.2026**.

A copy of the MOM dated 09.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

IV. AMENDED PROPOSALS FORWARDED BY THE PCCF (WILDLIFE) TO THE STATE GOVERNMENT FOR FINAL NOTIFICATION U/S 26A OF THE WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972

9. That, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, vide Letter No. **3182/10-1** dated **24.04.2026**, submitted the amended proposals. Which were

forwarded by the Deponent, vide Letter No. **2713/10-1** dated **21.05.2026**, to the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, who, in furtherance of the same, vide Letter No. **4375/10-1(Court Case)** dated **29.05.2026**, forwarded the same to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh for further action.

Copies of letters dated 24.04.2026, 21.05.2026 and 29.05.2026 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-4***.

10. That, Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, vide Letter No. **098/10-1(Court Case)** dated **08.07.2026**, requested the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh for further action regarding final notification of the area of 14.5025 hectares under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 pursuant to the decision taken in the SBWL meeting dated 03.07.2026 so that compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal may be made in their true letters and spirit.

    A copy of the letter dated 08.07.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

11. That, the Deponent respectfully submits that, pursuant to the amendments sought by the CEC, further exercise was required to be undertaken by the Deponent Department as well as the State Government, which involved examination and consideration at various levels. The Deponent respectfully

submits that every effort has been made to ensure expeditious compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal. At present, the final step relating to issuance of the final notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 remains to be undertaken by the State Government. It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to grant **a further period of** eight weeks **to enable completion** of the remaining steps and issuance of the final notification. Any delay or inconvenience caused in the process is wholly inadvertent and is sincerely regretted.

12. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY Kartikay Kumar Singh Reg. No. 31(85) 2009 Lucknow (U.P.) GOVT. OF U.P.

DEPONENT

Kartikay Kumar Singh
Advocate
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Reg. No. 31(85)09
10-7-2026

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 10 day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Reg. No. 31(85) 2005
Lucknow (U.P.)
GOVT. OF U.P.

DEPONENT

Sworn & Verified
Before me

Kartikay Kumar Singh
Advocate
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Reg. No. 31(85)09

10. 7. 2026

ANNEXURE-1

संo-242/81-4-26

No.4138.../MS/GI/2026

CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE

(CONSTITUED BY THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA)

3rd Floor, Chanakya Bhawan, Chanakya Puri, New Delhi – 21, Tel: 21610612, 21610613

Email: cecindia202@gmail.com, website: www.cecindia.in

1053/PSF/26

F. No: 1-26/CEC/SC/2026- Pt. 75

Dated: 29.01.2026

To,

The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow, UP.

02/2/26

Sub: Government of Uttar Pradesh notification No. 1529 / 81-4-2024 & Notification No. 630 / 81-4-2024 dated 27.12.2024 – regd.

Your kind attention is invited to the following two notifications:

Notification No. 630/81-4-2024 dated 27.12.2024 states that it is proposed to include government land spread over 14.5025 hectares within the Soor Sarovar Bird Sanctuary.

ii. Notification No. 1529/81-4-2024 dated 27.12.2024, states that an area of 380.558 hectares of reserve forest is included within the Soor Sarovar Bird Sanctuary.

31/01/2026
(अमृता सोनी)
प्रमुख स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. In both the above notifications, it has been mentioned that these notifications have been issued with the condition that the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the boundary of the additionally included area in the sanctuary shall be kept at zero kilometers.

753/SF(B)/26

3. In this regard, it is submitted that Eco-Sensitive Zones are notified by the Central Government in exercise of the powers conferred under sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, based on proposals submitted by the respective State Governments. The said powers for final notification of ESZs vest with the Central Government and cannot be exercised by the State Government suo moto.

247/VS(VS)/26

D.S (VB)

(निरजा सक्सेना)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उप सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

05/2/26

4. In view of the above, it is requested that the aforesaid notifications may kindly be rectified accordingly. Furthermore, the proposal for notification of the Eco-Sensitive Zone, in respect of the area included under Notification no: 1529/81-4-2024 dated 27.12.2024 may be submitted to the Central Government immediately and in respect of Notification No. 630/81-4-2024 dated 27.12.2024, as and when the final notification for inclusion of the said area in the sanctuary is issued. Till notification of the such ESZ by the Central Government, both these areas will have a default ESZ as per the relevant guidelines of the Central Government.

An early response of the State Government is solicited.

(Siddhanta Das)
Chairman

mail-dfochambal@gmail.com dfochambal@rediffmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांकः— 2624 /23–1 (ई0से0जो0), दिनांक, आगरा, मार्च 11 2026

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र,
उ0प्र0, कानपुर।

विषयः— मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हैक्टेयर का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 ए(1)(ए) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–3216/10–1(कोर्ट केस) दिनांक–11.03.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है संदर्भित पत्र के क्रम में वन्य जीव प्रतिपालक, इटावा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा को आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् वन्य जीव प्रतिपालक, इटावा के पत्रांक–808/23–1, दिनांक–11.03.2026 व क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा का पत्रांक–487/23–1 दिनांक–11.03.2026 के अनुसार आख्या निम्नवत् है :–

जनपद आगरा स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा, क्षेत्रफल 403.09 है0 की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–18 की अधिसूचना सं0– 764/14–3–49/90, दिनांक 27.03.1991 द्वारा की गयी है। इसके सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित I.A. NOS. 196157, 196158 एवं 196159/2019 में CEC की रिर्पोट नं0 17/2021 दिनांक 25.11.2021 एवं मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

CEC Report No- 17/2021(संलग्नक–1)

"21- Keeping in the view the facts and discussion in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court that the Eco Sensitive Zone Notification dated 10-10-2019 issued by the MoEF&CC may not be interfered with and this Hon'ble Court may consider directing the State Of Uttar Pradesh to

i) Notify 403.09 ha of Soor Sarovar bird Sanctuary (SSBS) under section 26(a) for the Wildlife (Protection) Act, 1972 after describing the limits of the area which shall be comprised with the Sanctuary in terms of survey number of the lands comprised within the SSBS and describe the boundary in terms of boundary pillars on east, west, south and north of the proposed Soor Sarovar Bird Sanctuary along with their forward and Backward bearing within a period of two months from the date of order of this Hon'ble Court.

ii) Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under section 18 to 25 of the wild life (Protection) Act, 1972."

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 REPORT NO- 17/2021 (I.A. NOS. 196157-196159/2019)– (संलग्नक–2)

"Since the reports of CEC are accepted without any objection, I.A. Nos. 51269/2017, 132820/2020, 44266/2022 and I.A. NOS. 196157-196159/2019 stand disposed of."

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित वाद ओ०ए० सं० 529/2023 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में

Email-dfochambal@gmail.com dfochambal@redifffmail

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सीमा की सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही 03 हिस्सों में (403.09 हे० + 15.415 हे0 + 380.558 हे0 = 799.063 हे०) किये जाने हेतु टाइमलाइन दिनांक 28.11.2023 को मा० न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के तौर पर दाखिल किया गया। **(संलग्नक–3)**

तत्पश्चात, मा० एन०जी०टी० में योजित वाद ओ०ए० सं० 529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 28.11.2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वन मुख्यालय, लखनऊ स्थित ''पारिजात सभाकक्ष'' में दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं – **(संलग्नक–4)**
"....(क) सूर सरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के धारा–26ए के तहत अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार ही प्रगति पायी गयी । प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सुचारू रूप से कार्यवाही की जाय ।

(ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा अवगत कराया गया कि सूर सरोवर पक्षी विहार के अर्न्तगत सूरदास वन ब्लाक के 380.558 हे० क्षेत्रफल को वन्यजीव विहार का क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार शासन को उपलब्ध करा दिया गया है । सूर सरोवर पक्षी विहार के अतिरिक्त क्षेत्रफल 15.41 हे० के प्रस्तावित क्षेत्र के विरूद्व वास्तव में उपलब्ध 14.50 है० का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है ।

(कार्यवाही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०)

(ग) सूर सरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 हे0 एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल 14.50 हे० सम्मिलित होने के पश्चात् सेंचुरी के क्षेत्रफल बढ़ने एवं परिणामस्वरूप Eco-Sensitive Zone (ESZ) के विस्तार में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है । अतः इस पर आगरा जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से विभिन्न विभागों का अभिमत प्राप्त किया जाना उचित होगा । अतः जिलाधिकारी, आगरा प्रश्नगत अतिरिक्त क्षेत्र 380.55 हे0 + 14.50 हे0 के प्रस्तावित ESZ में ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities की दृष्टि से विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में समस्त संबंधित विभागों का अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे ताकि इस क्षेत्र में आने वाली विकास व अन्य परियोजनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों का अभिमत स्पष्ट हो सके ।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, आगरा)

(घ) सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात प्रस्तावित क्षेत्रफल 380.55 हे0 + 14.50 हे0 से सम्बन्धित बदलाव एवं सम्भावित परिणामी स्थिति के आधार पर ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् सभी विभागों की बैठक शासन स्तर पर भी आयोजित की जायेगी । उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श के पश्चात् सूरसरोवर पक्षी विहार एवं अतिरिक्त क्षेत्रों के सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को शासन के माध्यम से राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मत स्थिर किया गया ।"

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में 403.09 हे0 की अंतिम अधिसूचना संख्या 398/81–4–2024**(संलग्नक–5)** दिनांक 12.06.2024 को जारी की गयी तथा बैठक के बिंदु संख्या (ग) व (घ) के आलोक में जिलाधिकारी आगरा द्वारा विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित कर सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा के उक्तानुसार प्रस्तावित सुव्यवस्थीकरण के पश्चात क्षेत्रफल में होने वाले विस्तार (14.5025 हे0 + 380.558 हे0 = 395.0605 हे0) के परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने की दशा में विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त किये गये।

उक्त अभिमतों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.07.2024 **(संलग्नक–6)** के माध्यम से निम्न आख्या प्रेषित की है :– "EIA 2006 एवं Environmental Clearance के सम्बन्ध में सरकार की अधिसूचना सं० 3649 (अ) दिनांक 10.10.2019 द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के वर्णित बिन्दु सं० 06 के उपबिन्दु 03 में उल्लिखित है कि– 'The activities that are covered in the Schedule to the notification... shall be scrutinised by the Monitoring committee... and referred to the Central Government... for prior environmental clearances...' इसके आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के फलस्वरूप ESZ में विस्तार के परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों की योजनायें, जो EIA 2006 से आच्छादित है तथा ईको सेंसिटव जोन में प्रतिषिद्ध नहीं है, उन्हें पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाना होगा।''

Email-dfochambal@gmail.com dfochambal@redifffmail.com

जिलाधिकारी, आगरा की आख्या दिनांक 22.07.2024 में उल्लेखित है कि, "ESZ के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से प्राप्त अभिमत एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के पत्र दिनांक 15.07.2024 के अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार के सीमा सुव्यवस्थीकरण के पश्चात ईको सेन्सिटिव जोन में बदलाव से पक्षी विहार की सीमाओं से लगा क्षेत्र, जहाँ घनी आबादी बसी हुई है, के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।"

जिलाधिकारी, आगरा की आख्या दिनांक 22.07.2024 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) नं० 202 of 1995 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के बिन्दु सं 55 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:– "55. Insofar as direction in paragraph 56.1 of the order dated 3rd June 2022 (supra) is concerned... The area to be declared as ESZ cannot be uniform and will be Protected Area specific. In some cases, it may be 10 kilometres on one side and 500 meters on the other side... Once such a notification is issued after following the procedure prescribed under the 1986 Rules, the ESZs will have to be as per the said notification." तथा निम्न संस्तुति/सुझाव दिए गए–

"..अतः उक्त आदेश के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के पश्चात क्षेत्रफल बढने के फलस्वरूप ESZ में बदलाव की दशा में नये ESZ को न्यूनतम यथा शून्य किमी० रखने पर विचार किया जा सकता है।.."

जिलाधिकारी, आगरा के उपरोक्त संस्तुति/सुझाव के आलोक में सूरदास वन ब्लाक क्षेत्रफल 380.558 हे0 के आरक्षित वन एवं राजकीय भूमि क्षेत्रफल 14.5025 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पक्षी विहार अधिसूचित किए जाने के सम्बन्ध में नये ईको सेन्सेटिव जोन को न्यूनतम यथा शून्य कि०मी० निर्धारित किए जाने की शर्त पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव परिषद (स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ) की परिचालन विधि से सम्पन्न 18वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया । **(संलग्नक–7)**

तत्पश्चात उपरोक्त के अलोक में, सूर सरोवर पक्षी विहार के अंतर्गत सूरदास वन ब्लाक के 380.558 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–26A(1b) अंतिम अधिसूचना दिनांक 27.12.2024**(संलग्नक–8)** को निर्गत की गई । सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हेक्टेयर राजकीय भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा 18 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 27.12.2024**(संलग्नक–9)** को निर्गत की गई एवं इसकी अंतिम अधिसूचना की कार्यवाही प्रचलित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है की मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेश से संबंधित, CEC रिपोर्ट संख्या 17/2021 के बिन्दु 21 में यह उल्लेखित है कि "...Keeping in the view the facts and discussion in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court that the Eco Sensitive Zone Notification dated 10-10-2019 issued by the MoEF&CC may not be interfered with..." तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम ,जनपद आगरा के क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना व "...Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under section 18 to 25 of the wild life (Protection) Act. 1972." के निर्देश दिए गए ।

इसके आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हेक्टेयर राजकीय भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा यह प्रकरण मा० NGT की वाद ओ०ए० संख्या 529/2023 (शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में भी योजित है।

इसके अतिरिक्त, सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम , जनपद आगरा के कुल क्षेत्रफल 798.1505 हेक्टेयर (जिसमें 403.09 हे०, 380.558 हे० एवं 14.5025 हे० सम्मिलित हैं) के लिए ''ईको सेंसिटिव जोन'' के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करने की कार्यवाही भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही संपादित कर उच्च स्तर को प्रेषित किया जाएगा । चूँकि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम ,जनपद आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० एवं 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अधिसूचित करने का निर्णय मा0 उत्तर प्रदेश राज्य

Email-dfochambal@gmail.com dfochambal@redifffmail.com

वन्यजीव परिषद (स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ) व उत्तर प्रदेश शासन स्तर से लिया गया है, अतः अधिसूचना में किसी भी प्रकार के संशोधन के संबंध में उच्च स्तर पर एक बैठक आहूत कर निर्णय लिया जाना ही उचित प्रतीत होता है ।

अतः रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

11/03/26

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांक :– 2624 /23–1 (ई0से0जो0) उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/03/26

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा।

9383

कार्यालय मुख्य वन संरक्षर, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

पत्रांक 2172 / 10–1 दिनांक, आगरा, मार्च 13 ,2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–529 / 2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 12.5025 हैक्टेयर का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 ए(1)(ए) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपके कार्यालय पत्रांक को0के 3216 / 10–1(कोर्ट केस) दिनांक 11–03–2026

महोदया,

आपके उपराक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा के पत्रांक 2624 / 23–1(ई0से0जोन0) दिनांक 11–03–2026 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–529 / 2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 12.5025 हैक्टेयर का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 ए(1)(ए) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने से से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अतः राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति सहित जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(संजीव कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

<u>पत्रांक 2172 / 10–1 उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार

Dycwlw

Pccf (WL)

16/3/2026

(संजीव कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

PSKUSH C:\Users\Kartik\Desktop\kanpur.doc

महत्वपूर्ण/कोर्ट केस/ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या–3345 / 10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 A(I)(a) की अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– शासकीय पत्र संख्या–441/81–04–2026–1807890 दिनांक 11.03.2026

महोदया,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक–1770/10–1 दिनांक 24.12.2025 के सन्दर्भगत सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26 A(1)(a) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना आलेख प्रेषित करने के पूर्व कार्य पूर्णता की अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को शपथ पत्र के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल किए जाने की सूचना मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0 कानपुर के पत्रांक–1586/10–1 दिनांक 02.01.2026 द्वारा प्रेषित की गयी है। तद्क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 क्षेत्र को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 26 A(1)(a) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी कराने हेतु अन्तिम अधिसूचना आलेख हिन्दी व अंग्रजी भाषा में फील्ड बुक व मानचित्र सहित उपलब्ध कराये गयी अधिसूचना आलेख को इस कार्यालय के पत्रांक–2591/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में विषयक शासकीय पत्र संख्या–441/81–04–2026–1807890 दिनांक 11.03.2026, द्वारा पूर्व प्रेषित शासकीय पत्र संख्या–242/81–04–2026–1807890 दिनांक 20.02.2026, द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में श्री सिद्धान्त दास, अध्यक्ष सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली के पत्र–एफ0 संख्याः 1–26/CEC/SC/2026-Pt.7 दिनांक 29.01.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए विषयगत प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करते हुए अपेक्षित आख्या/प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। उक्त अपेक्षा के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय का पत्रांक–3039/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 25.02.2026 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0 कानपुर को अपेक्षित प्रस्ताव/आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः शासकीय पत्र संख्या–150/81–04–2026–1807890 दिनांक 06.03.2026, द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–3216/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 11.03.2026 द्वारा वांछित आख्या तत्काल उपलब्ध कराने हेतु दिए गये निर्देश के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0, कानपुर के पत्रांक–2172/10–1 दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक–2624/23–1 (ई0सें0जोन), दिनांक 11.03.2026 द्वारा प्रेषित आख्या/जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति सहित जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

सन्दर्भित शासकीय पत्र दिनांक 11.03.2026 द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आख्या के अनुसार मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेश से संबंधित, CEC रिपोर्ट संख्या 17/2021 के बिन्दु 21 में यह उल्लेखित है कि "...Keeping in the view the facts and discussion in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court that the Eco Sensitive Zone Notification dated 10-10-2019 issued by the MoEF&CC may not be interfered with..." तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम ,जनपद आगरा के क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना व "...Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under section 18 to 25 of the wild life (Protection) Act. 1972." के निर्देश दिए गए हैं, जिसके आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हेक्टेयर राजकीय भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा यह प्रकरण मा० NGT की वाद ओ०ए० संख्या 529/2023 (शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में भी योजित है।

E:\Gyanendra2026.docx

इसके अतिरिक्त, सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद आगरा के कुल क्षेत्रफल 798.1505 हे0 (जिसमें 403.09 हे०, 380.558 हे० एवं 14.5025 हे० सम्मिलित है) के लिए "ईको सेंसिटिव जोन" के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करने की कार्यवाही भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही संपादित कर उच्च स्तर को प्रेषित किया जाएगा। चूँकि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम ,जनपद आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० एवं 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अधिसूचित करने का निर्णय मा0 उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव परिषद (स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ) व उत्तर प्रदेश शासन स्तर से लिया गया है।

अतः प्रस्तुत अधिसूचना आलेख में किसी भी प्रकार के संशोधन के संबंध में उच्च स्तर पर एक बैठक आहूत कर निर्णय लिया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0 कानपुर ने उनके कार्यालय पत्रांक–2172/10–1 दिनांक 13.03.2026 द्वारा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ0 प्र0 आगरा के पत्रांक–2624/23–1 दिनांक 11.03.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0 कानपुर के पत्र दिनांक 13.03.2026 की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम जनपद आगरा के कुल क्षेत्रफल 798.1505 हे0 (जिसमें 403.09 हे0, 380.558 हे0 एवं 14.5025 हे0 सम्मिलित है) हेतु ईको सेन्सिटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करने की कार्यवाही के पूर्व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 एवं 14.5025 हे0 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु अधिसूचना आलेख में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में राज्य वन्य जीव परिषद व शासन स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासकीय पत्र के साथ संलग्न श्री सिद्धान्त दास, अध्यक्ष, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, के पत्र–एफ0 संख्या: 1–26/CEC/SC/2026-Pt.7 दिनांक 29.01.2026 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उ0 प्र0 राज्य द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 एवं अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रफल क्रमशः 380.558 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 14.5025 हे0 राजकीय वन भूमि के सम्बन्ध में इको सेन्सिटिव जोन अनुसूचित किए जाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण, संरक्षण नियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी। पत्र का प्रभावी अंश निम्नानुसार है–

"....... In this regard, it is submitted that Eco-Sensitive Zones are notified by the Central Government in exercise of the powers conferred under sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule 3 of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, based on proposals submitted by the respective State Governments. The said powers for final notification of ESZs vest with the Central Government and cannot be exercised by the State Government suo moto".

उक्त के क्रम में सन्दर्भित शासकीय पत्र द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में अनुरोध है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम जनपद आगरा के कुल क्षेत्रफल 798.1505 हे0 (जिसमें 403.09 हे0, 380.558 हे0 एवं 14.5025 हे0 सम्मिलित है) हेतु ईको सेन्सिटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करने की कार्यवाही के पूर्व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 एवं 14.5025 हे0 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु अधिसूचना आलेख में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में प्रकरण को राज्य वन्य जीव परिषद को सन्दर्भित करने के सम्बन्ध में विचार करना चाहें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–3345 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.2025 के अनुपालन में ससमय समुचित अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए वाद की प्रभावी पैरवी करायें।

1– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ0 प्र0 आगरा।

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ANNEXURE-3

सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० की अधिसूचना संख्या-1529/81-4-2074, दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 की अधिसूचना संख्या- 630/81-4-2024 दिनांक 27.12.2024 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 01.04.2026 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्रीमती अनुराधा वेमुरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
2. श्रीमती बी० चन्द्रकला, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्रीमती चाँदनी सिंह, उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।
4. श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, शासन।
5. श्री विनय कुमार पाठक, उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनुभाग-4, उ०प्र०, शासन।
6. श्री विजय सिंह, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, शासन।

बैठक के प्रारम्भ में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही एवं सी०ई०सी० के पत्र दिनांक 29.01.2026 में प्राप्त निर्देश के क्रम में वांछित संशोधन सहित अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र० एवं उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० द्वारा अवगत कराया गया। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्देश दिये गये :-

1. सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-26A(1b) की अधिसूचना संख्या-1529/81-4-2024, दिनांक-27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18 की अधिसूचना संख्या-630/81-4-2024, दिनांक 27.12.2024 के सम्बंध में मा० CEC के पत्र संख्या-1-26/CEC/SC/2026-Pt. 75 Dated: 29.01.2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वांछित संशोधन के साथ सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A (1b) की अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 की अधिसूचना का प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त कर परीक्षण करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव के माध्यम से शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये।

उक्त के क्रम में ही सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A (1a) की अधिसूचना का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त वांछित संशोधन के सम्बन्ध में मा० राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,उ०प्र०, जिलाधिकारी, आगरा व उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।)

2. मा० CEC के पत्र संख्या-1-26/CEC/SC/2026-Pt. 75 Dated: 29.01.2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना का प्रस्ताव जनपद स्तर पर सम्पन्न कराकर यथाशीघ्र शासन को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,उ०प्र०, जिलाधिकारी, आगरा व उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।)

Digitally signed by
NEERJA SAXENA
Date: 09-04-2026
18:56:45

(नीरजा सक्सेना)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
संख्या-682/81-4-2026-1807890
लखनऊः दिनांक ०9 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा, उ०प्र०।
3. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

आज्ञा से,

Digitally signed by
VINAI KUMAR PATHAK
Date: 09-04-2026
19:39:59

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा।

पत्रांकः– 3182 /10-1 , दिनांक, आगरा, अप्रैल, 24 2026

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, पश्चिमीक्षेत्र,
उ0प्र0, कानपुर।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हैक्टेयर का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 ए(1)(ए) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–सी0ई0सी0 का पत्र–एफ.नं:–1–26/सीईसी/एससी/2026–पीटी 75 दिनांक 29.01.2026
2–दिनांक 01.04.2026 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि CEC के पत्र दिनांक 29.01.2026 **(संलग्नक–1)** में प्राप्त निर्देश के क्रम सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 की अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024**(संलग्नक–2)** व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 की अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024**(संलग्नक–3)** की अधिसूचना में संशोधन के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने के लिए दिनांक 01.04.2026**(संलग्नक–4)** को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त का प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"1. सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024, दिनांक–27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 के सम्बंध में मा० CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026-Pt. 75 Dated: 29.01.2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वांछित संशोधन के साथ सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त कर परीक्षण करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव के माध्यम से शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये।

उक्त के क्रम में ही सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a) की अधिसूचना का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त वांछित संशोधन के सम्बन्ध में मा0 राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

2. मा० CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026–Pt-75 Dated: 29.01.2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना का प्रस्ताव जनपद स्तर पर सम्पन्न कराकर यथाशीघ्र शासन को प्रेषित किया जाये।"

उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा के पत्रांक 3067/10–1 दिनांक 13–04–2026 द्वारा 04 सदस्यीय समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 तथा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a) की अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी आलेख में वांछित संशोधन उपरान्त संशोधित अंग्रेजी व हिन्दी आलेख का प्रारूप दिनांक 14.04.2026 को प्रभागीय कार्यालय में प्रेषित किया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के सूरदास वन ब्लॉक के क्षेत्रफल 380.558 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के संशोधित आलेख का प्रारूप व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के संशोधित आलेख का प्रारूप तथा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 4.5025 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a) की अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के संशोधित आलेख का प्रारूप संस्तुति सहित रिपोर्ट आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

जिलाधिकारी,
आगरा

पत्रांक :– 3182 /10–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
आगरा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः- 2713 /10-1, दिनांक, कानपुर, मई, 21 2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हैक्टेयर का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26 ए(1)(ए) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- 1-सी0ई0सी0 का पत्र-एफ.नं.-1-26/सीईसी/एससी/2026-पीटी 75 दिनांक 29.01.2026

2-दिनांक 01.04.2026 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक 4254/10-1 दिनांक 19-05-2026

4-उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 3454/10-1 दिनांक 20-05-2026

महोदया,

उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट , उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 3454/10-1 दिनांक 20-05-2026 द्वारा आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराया है कि मा0 CEC ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2026 (संलग्नक-1) द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 की पूर्व अधिसूचना संख्या-630/81-4-2024, दिनांक 27.12.2024 अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-26A(1b) की पूर्व अधिसूचना संख्या-1529/81-4-2024, दिनांक-27.12.2024 में उल्लिखित है कि *"अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य किलोमीटर रखा जाएगा"* के क्रम में मा0 CEC द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ईको सेन्सिटिव जोन को अधिसूचित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है।

इसी क्रम में मा0 CEC द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन , उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2026 को बैठक सम्पन्न हुई (संलग्नक-2), उक्त बैठक में विचार विमर्श कर यह निर्देश दिया गया कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-26A(1b) की अधिसूचना संख्या-1529/81-4-2024, दिनांक-27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद-आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 की

श्री ज्ञानेन्द्र OSMIC
DY. CWLW
Recf(WL)
26/5/2026

अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त कर परीक्षण करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव के माध्यम से शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये, साथ ही सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a) की अधिसूचना का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त वांछित संशोधन के सम्बन्ध में मा0 राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा के आदेश दिनांक 13–04–2026 द्वारा गठित 04 सदस्यीय समिति व वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा के पत्र संख्या 958/10–1 दिनांक 20–05–2026 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के सूरदास वन ब्लॉक के क्षेत्रफल 380.558 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की पूर्व अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की पूर्व अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप तथा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a) की प्रस्तावित अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप में उल्लिखित लाइन *"अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य किलोमीटर रखा जाएगा"* को हटा दिया गया है, साथ ही उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा कार्यालय के पत्र संख्या 3182/10–1 दिनांक 24–04–2026 द्वारा जिलाधिकारी आगरा महोदय परीक्षणोपरान्त संस्तुति प्रदान की गयी।

अतः उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा द्वारा प्रस्तुत संशोधित अधिसूचनाओं के हिन्दी व अंग्रेजी प्रस्तावों के प्रारूप प्रतिहस्ताक्षरित कर रिपोर्ट संस्तुति सहित एतद्सह संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

पत्रांक :–2713 /10–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

महत्वपूर्ण/कोर्ट केस/ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या–4375 / 10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 29 मई, 2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–
1. शासकीय पत्र संख्या–900/81–4–2026–1807890 दिनांक 15.05.2026
2. इस कार्यालय का पत्रांक–4254/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 19.05.2026
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर का पत्र संख्या–2713/10–1 दिनांक 21.05.2026

महोदया,

अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.05.2026 द्वारा विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा के पत्रांक–3454/10–1 दिनांक 20.05.2026 के माध्यम से सन्दर्भित शासकीय पत्र दिनांक 15.05.2026 के क्रमांगत इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 19.05.2026 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अवगत कराया है कि CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026-Pt-75 Dated: 29.01.2026 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की पूर्व अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 वन्य जीव (संरक्षण) 1972 की धारा–26A(1b) की पूर्व अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 में उल्लिखित है कि "अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य कि0मी0 रखा जायेगा" के क्रम में CEC द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ईको सेंस्टिव जोन को अधिसूचित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है।

तत्क्रम में मा0 सी0ई0सी0 द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.04.2026 के सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या–682/81–4–2026–1807890 दिनांक 09.04.2026 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार, सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 के सम्बंध में मा० CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026-Pt-75 Dated: 29-01-2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वांछित संशोधन के साथ सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त कर परीक्षण करते हुए शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये। साथ ही सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 A(1)(a) की अधिसूचना में प्रश्नगत वांछित संशोधनं के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए मा0 राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के सूरदास वन ब्लॉक के क्षेत्रफल 380.558 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b) की अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की पूर्व अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के संशोधित आलेख का प्रारूप तथा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26 A(1)(a) की प्रस्तावित अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप में उल्लिखित लाइन "कि, अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य कि0मी0 को रखा जायेगा" को हटा दिया गया है।

साथ ही अवगत कराया गया है कि उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा के पत्र संख्या–3182/10–1 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से उक्तानुसार की गयी कार्यवाही पर जिलाधिकारी आगरा महोदय स्तर से परीक्षणोंपरान्त संस्तुति प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्तानुसार उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा द्वारा प्रस्तुत संशोधित अधिसूचनाओं के हिन्दी व अंग्रेजी के प्रस्तावों के प्रारूप प्रतिहस्ताक्षरित कर रिपोर्ट संस्तुति सहित संलग्न कर मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने उनके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.05.2026 सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त प्रेषित रिपोर्ट, जो उच्च स्तरीय निर्णय से आच्छादित एवं तथ्यात्मक है, से सहमति प्रदान करते हुए प्रश्नगत अपेक्षित आख्या शासन को संलग्नकों सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 4375, / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.2025 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार ससमय समुचित अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ0 प्र0 आगरा।

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ANNEXURE-5

महत्वपूर्ण/कोर्ट केस/ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– 098 / 10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई, 2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a)की अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–
1. शासकीय पत्र संख्या–900/81–4–2026–1807890 दिनांक 15.05.2026
2. इस कार्यालय का पत्रांक–4254/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 19.05.2026
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर का पत्र संख्या–2713/10–1 दिनांक 21.05.2026
4. इस कार्यालय का पत्रांक–4375/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 29.05.2026
5. शासकीय पत्र संख्या–1036/81–4–2026–1807890 दिनांक 30.05.2026

महोदया,

अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.05.2026 द्वारा विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा के पत्रांक–3454/10–1 दिनांक 20.05.2026 के माध्यम से सन्दर्भित शासकीय पत्र दिनांक 15.05.2026 के क्रमांगत इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 19.05.2026 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अवगत कराया है कि CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026-Pt-75 Dated: 29.01.2026 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की पूर्व अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 वन्य जीव (संरक्षण) 1972 की धारा–26A(1b) की पूर्व अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024 दिनांक 27.12.2024 में उल्लिखित है कि "अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य कि0मी0 रखा जायेगा" के क्रम में CEC द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ईको सेंस्टिव जोन को अधिसूचित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है।

तत्क्रम में मा0 सी0ई0सी0 द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.04.2026 के सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या–682/81–4–2026–1807890 दिनांक 09.04.2026 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार, सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे० वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–26A(1b)की अधिसूचना संख्या–1529/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना संख्या–630/81–4–2024, दिनांक 27.12.2024 के सम्बंध में मा० CEC के पत्र संख्या–1–26/CEC/SC/2026-Pt-75 Dated:29-01-2026 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वांछित संशोधन के साथ सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 380.558 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1b)की अधिसूचना व सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त कर परीक्षण करते हुए शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये।साथ ही सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a)की अधिसूचना में प्रश्नगत वांछित संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए मा0 राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उक्त के अनुपालन के क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.05.2026 के माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, जनपद–आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26A(1)(a)की प्रस्तावित अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख के प्रारूप में उल्लिखित लाइन " कि, अभ्यारण्य में सम्मिलित इस अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शून्य कि0मी0 को रखा जायेगा" को हटा कर संशोधित अधिसूचना के हिन्दी व अंग्रेजी प्रस्तावों के प्रारूप संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में सन्दर्भित शासकीय पत्र दिनांक 30.05.2026 द्वारा उक्त परियोजना प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की आगामी बैठक की एजेण्डे में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

ज्ञातव्य है कि विषयक प्रकरण में उक्त परियोजना प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक दिनांक 03.07.2026 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराना है कि विषयक वाद मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 13.07.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्व है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में विषयक परियोजना प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में नियमानुसार अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहें ताकि तद्नुसार मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन में सुनवाई हेतु नियत तिथि 13.07.2026 के पूर्व मा0 अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(राम कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट टाइगर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 098, / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंइस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में शासन स्तर से समन्वय स्थापित करमा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार ससमय समुचित अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ0 प्र0 आगरा।

(राम कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट टाइगर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।